"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 138] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 अप्रैल 2017— चैत्र 30, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2017

क्रमांक 3661/डी. 81/21-अ/प्रारू./छ. ग./17. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 11-04-2017 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 3 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017

छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्र. 21 सन् 2011) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 9 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्र. 21 सन् 2011) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 9 में, उप-धारा (3) में,-

(एक) शब्द "एवं दूसरी कालावधि के लिये पुनर्नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा" के स्थान पर, शब्द "एवं दो से अधिक कालावधि के लिये नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(दो) प्रथम परन्तुक में, शब्द "पैंसठ" के स्थान पर, शब्द "सत्तर" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 10 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 10 में, उप-धारा (1) में, शब्द एवं विराम चिन्ह "परन्तु, इस प्रकार नियुक्त कुलपति दूसरी कालावधि के लिये पुनर्नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा," के स्थान पर, शब्द एवं विराम चिन्ह "परन्तु यह कि इस प्रकार नियुक्त कुलपति अधिनियम की धारा 9 के अधीन पुनर्नियुक्त होने के लिये पात्र हो सकेगा" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 22 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 22 में, उप-धारा (2) में,-

(क) शीर्षक "पदेन सदस्य" के नीचे,-

(एक) प्रविष्टि (चार) में, शब्द "सभी संचालकगण," के स्थान पर, शब्द "एक संचालक, जैसा कि राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) प्रविष्टि (पांच) में, शब्द "सभी संकायों के अधिष्ठाता," के स्थान पर, शब्द "एक संकाय का अधिष्ठाता जैसा कि राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(तीन) प्रविष्टि (छ:) में, शब्द "सभी महाविद्यालयों के अधिष्ठाता," के स्थान पर, शब्द "एक महाविद्यालय का अधिष्ठाता, जैसा कि राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये" प्रतिस्थापित किया जाये.

(ख) शीर्षक "अन्य सदस्य" के नीचे,-

(एक) प्रविष्टि (तीन) में, शब्द "एक" के स्थान पर, शब्द "दो" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) प्रविष्टि (पांच) में, शब्द "दुग्ध अथवा पंचगव्य-उत्पादन या प्रसंस्करण से संबद्ध उद्योग का एक प्रतिनिधि" के पश्चात्, शब्द "एवं पशुधन संवर्धन तथा संरक्षण से एक प्रतिनिधि" अन्त:स्थापित किया जाये; और

(तीन) प्रविष्टि (छ:) में, शब्द "एक" के स्थान पर, शब्द "दो" प्रतिस्थापित किया जाये.

5. मूल अधिनियम की धारा 51 में, उप-धारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :- **धारा 51 का संशोधन.**

"(6) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में छात्रसंघ का चुनाव छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार; विद्या परिषद् की अनुशंसा पर कार्य परिषद् द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार कराये जायेंगे."

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2017

क्रमांक 3661/डी. 81/21-अ/प्रारू./छ. ग./17.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-4-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 3 of 2017)

THE CHHATTISGARH KAMDHENU VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2017

An Act further to amend the Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011 (No. 21 of 2011).

Be it enacted by the Chhatitsgarh legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattigarh kamdhenu Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017. **Short title, extent and commencement.**

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Chhattisgarh kamdhenu Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011 (No. 21 of 2011), (hereinafter referred to as the Principal Act), in Section 9, in sub-section (3),- **Amendment of Section 9.**

(i) for the words "and shall not be eligible for reappointment for another term", the words "and shall not be eligible for appointment for more than two terms" shall be substituted; and

(ii) in the first proviso, for the words "sixty five", the word "seventy" shall be substituted.

Amendment of Section 10.

3. In Section 10 of the Principal Act, in sub-section (1), for the words and punctuation "Provided that, the Vice-Chancellor so appointed shall not be eligible for reappointment for aunother term.", the words and punctuation "Provided that, the Vice-Chancellor so appointed may be eligible for reappointment under Section 9 of the Act." shall be substituted.

Amendment of Section 22.

4. In Section 22 of the Principal Act, in sub-section (2),-

(a) under headidng "Ex-Officio Member",-

(i) in entry (iv), for the words "All Directors", the words "One Director, as nominated by the State Government" shall be substituted;

(ii) in entry (v), for the words "All Deans of Faculties", the words "Dean of one Faculty as nominated by the State Government" shall be substituted; and

(iii) in entry (vi), for the words "All Deans of Colleges", the words "Dean of one college, as nominated by the State Government" shall be substituted.

(b) Under the heading "Other Members",

(i) in entry (iii), for the word "one", the word "two" shall be substituted;

(ii) in entry (v), after the words "industries connected with dairy", the words " and one representative of livestock production and conservation" shall be inserted; and

(iii) in entry (vi), for the word "one", the word "two" shall be substituted.

Amendment of Section 51.

5. In Section 51 of the Principal Act, after sub-section (5), the following shall be added, namely :-

"(6) Election of student union at University and College level shall be held in accordance with the regulations to be framed by the Executive Council on the recommendation of the Academic Council; as per the guidelines of Government of Chhattisgarh issued from time to time."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.